उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-74/2018/884/92-2-18-20जॉच/2018
लखनऊ:: दिनांक:: 10 जुलाई,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद अमेठी के कार्यकाल में कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने, शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को आरोप पत्र देते हुये उन्के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-74 /2018/884(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 12/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/2018-19 दिनांक 11-04-2018 के क्रम में।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को आरोप पत्र **संलग्नक सहित**।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी।
4- श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in